न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—120/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/120)

1. श्री गेंदा लाल पुत्र स्व0 श्री रोडा जाति माली निवासी—मिस्त्री मौहल्ला गुलाब बाडी, अजमेर (स्वर्गवास) जरिए वारिसान
   1/1 श्री सुनील पुत्र स्व0 श्री गेंदा लाल, माली निवासी—मिस्त्री मौहल्ला गुलाब बाडी, अजमेर।
   1/2 श्रीमती सावित्री पुत्री स्व0 श्री गेंदा लाल, पत्नी श्री अमरचन्द तुन्दवाल माली निवासी—धौलाभाटा, मालियों के मन्दिर के पास अजमेर।
   1/3 श्रीमती कौशल्या पुत्री स्व0 श्री गेंदा लाल पत्नी श्री दुली चन्द चौहान, जाति माली, निवासी— नया घर नई बस्ती, तेजाजी के देवली के पास अजमेर।
   1/4 श्रीमती सुनिता पुत्री स्व0 श्री गेंदा लाल पत्नी श्री महेश जादम, जाति माली, निवासी—नया घर, नई बस्ती, शिवजी के मन्दिर के पास, अजमेर।
2. श्री बालकिशन पुत्र स्व0 श्री रोडा जाति माली निवासी मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी अजमेर स्वर्गवास जरिए वारिसान
   2/1 श्रीमती रतनी देवी पत्नी स्व0 श्री बालकिशन जाति माली
   2/2 डॉ0 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री बालकिशन जाति माली
   2/3 प्रेमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री बालकिशन जाति माली
   2/4 प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 श्री बालकिशन जाति माली
   2/5 इन्द्र पुत्री स्व0 श्री बालकिशन जाति माली
   समस्त निवासीगण—मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी, अजमेर।
3. श्री गुलाबसिंह पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल पौत्र स्व0 श्री रोडा जाति माली, निवासी—मिस्त्री मौहल्ला, गुलाबबाडी, अजमेर (स्वर्गवास) जरिए वारिसान
   3/1 नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री गुलाब सिंह स्वर्गवास जरिए वारिसान
   3/1/1 श्रीमती संगीता उबाना पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार
   3/1/2 अर्पिता पुत्री स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार
   3/1/3 रोहित उबाना पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार
   3/2 श्रीमती अंजना गहलोत पुत्री स्व0 श्री गुलाब सिंह
   3/3 श्रीमती शारदा पत्नी श्री रविन्द्र कुमार पुत्रवधु स्व0 श्री गुलाब सिंह
   3/4 खुशबू पुत्री स्व0 श्री रविन्द्र कुमार पौत्री स्व0 श्री गुलाबसिंह
   3/5 अंकित पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र कुमार पौत्र स्व0 श्री गुलाबसिंह
   समस्त जाति माली निवासीगण —मिस्त्री मौहल्ला, गुलाबबाडी, अजमेर।
4. श्री सुरेश पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल पौत्र स्व0 श्री रोडा स्वर्गवास जरिए वारिसान
   4/1 श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री सुरेश, जाति माली
   4/2 अनुराग पुत्र स्व0 श्री सुरेश, जाति माली
   4/3 ज्योति पुत्री स्व0 श्री सुरेश, जाति माली
   4/4 वन्दना पुत्री स्व0 श्री सुरेश, जाति माली
   4/5 अर्चना पुत्री स्व0 श्री सुरेश, जाति माली
   समस्त निवासीगण मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी, अजमेर।
5. श्रीमती भंवरी पत्नी स्व0 श्री फुलचन्द पुत्रवधु स्व0 श्री रोडा
6. भागचन्द पुत्र स्व0 श्री फुलचन्द पौत्र स्व0 श्री रोडा स्वर्गवास जरिए वारिसान

6/1 श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री भागचन्द निवासी–मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी, अजमेर।
7. धन्नालाल पुत्र स्व0 श्री फुलचन्द पौत्र स्व0 श्री रोडा
8. टीकम पुत्र स्व0 श्री फुलचन्द पौत्र स्व0 श्री रोडा
9. अमरचन्द पुत्र स्व0 श्री फुलचन्द पौत्र स्व0 श्री रोडा
समस्त जाति माली निवासीगण–मिस्त्री मौहल्ला, गुलाबबाडी अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री जीतमल पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल जाति माली, निवासी–मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी, अजमेर(स्वर्गवास) जरिए वारिसान
1/1 श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री जीतमल, जाति माली
1/2 राजकुमार पुत्र स्व0 श्री जीतमल, जाति माली
1/3 रिषीराज पुत्र स्व0 श्री जीतमल, जाति माली
1/4 कुलदीप पुत्र स्व0 श्री जीतमल, जाति माली
1/5 आशा पुत्री स्व0 श्री जीतमल, जाति माली
1/6 बीना पुत्री स्व0 श्री जीतमल, जाति माली
1/7 रेखा पुत्री स्व0 श्री जीतमल, जाति माली
समस्त निवासीगण–मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी, अजमेर।
2. गोपालसिंह पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली, निवासी–मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी, अजमेर।
2/1 श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी स्व0 श्री गोपालसिंह
2/2 शेलेष पुत्र स्व0 श्री गोपालसिंह
2/3 अमित पुत्र स्व0 श्री गोपालसिं
2/4 प्रिती पुत्री स्व0 श्री गोपालसिंह
समस्त जाति माली निवासी नई डिस्पेन्सरी दानमल माथु कॉलोनी, गुलाबबाडी अजमेर।
3. श्री सुरजसिंह पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली, निवासी–मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी, अजमेर (स्वर्गवास) जरिए वारिसान
3/1 श्रीमती मन्जू देवी पत्नी स्व0 श्री सुरजसिंह जाति माली
3/2 कपिल पुत्र स्व0 श्री सुरजसिंह जाति माली
3/3 नीलम उर्फ नेहा पुत्री स्व0 श्री सुरजसिंह जाति माली
3/4 निशा पुत्री स्व0 श्री सुरजसिंह जाति माली
समस्त निवासीगण–मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी, अजमेर।
4. श्री बृजमोहन पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली–निवासी–मिस्त्री मौहल्ला गुलाबबाडी, अजमेर।
5. श्रीमती गीता उर्फ लाली पत्नी श्री चांदमल पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल जाति माली, निवासी–रेलवे फाटक के पीछे लडकियों की स्कूल के पास, सुभाष नगर, अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर तहसील अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

7. श्री रमेश पुत्र श्री गोपीलाल जाति माली
8. श्री कमलेश पुत्री श्री गोपीलाल जाति माली
9. श्रीमती उषा पत्नी स्व0 श्री दिनेश जाति माली
10. सोनम पुत्री स्व0 श्री दिनेश जाति माली
11. सुमित पुत्र स्व0 श्री दिनेश जाति माली

12. श्रीमती गीता पुत्री स्व0 श्री गोपीलाल जाति माली
13. श्रीमती शीला पुत्री स्व0 श्री गोपीलाल जाति माली
14. श्रीमती छोटी बाई उर्फ कमला पत्नी स्व0 श्री लालचन्द जाति माली
15. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री लालचन्द जाति माली
16. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व0 श्री लालचन्द जाति माली
    समस्त निवासीगण नई बस्ती नया घर गुलाबबाडी अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
17. श्रीमती कुसुमलता जादम पुत्री स्व0 श्री गेंदा लाल पत्नी श्री भंवरलाल जादम, जाति माली, निवासी–मदिना प्रोपर्टी के पीछे, सांवरिया पब्लिक स्कूल, चन्द्रवरदाई, ब्यावर रोड अजमेर।
18. मनीष पुत्र स्व0 श्री फुलचन्द पौत्र स्व0 श्री रोडा, जाति माली निवासी मिस्त्री मौहल्ला, गुलाबबाडी, अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित आदेश 41 नियम 01 (क) सपठित धारा 104 जा0दी0, विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर राजस्व वाद संख्या 50/2006 आदेश दिनांक 29.03.2022

उपस्थितः–

1. श्री नौरतमल जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/7, 3 से 5 व 7 से 18 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–30.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2006 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध धारा 88 व 188 बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 व धारा 5 को दिनांक 29.03.2022 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2006 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/7, 3 से 5 व 7 से 18 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 04 सूरजसिंह के स्वर्गवास की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व 09 सपठित धारा 151, जाप्ता दीवानी सपठित धारा 05 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 04 सुरज सिंह के वारिसान को वाद पत्रावली के रिकार्ड पर लिया जावे कि इस आवेदन पत्र का प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया गया, शपथ पत्र का भी खण्डन नहीं किया गया, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिकूल है, जबकि तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे जो विधि विरूद्ध है, जबकि प्रतिवादी संख्या 04 सुरज सिंह की सीमा तक अबेट एवं निरस्त किए जाने का आदेश जो पारित किया गया वह विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 04 सुरज सिंह के स्वर्गवास की सूचना दिया जाना कथन किया जबकि प्रतिवादी संख्या 04 सुरज सिंह के स्वर्गवास की सूचना के बाबत आवेदन पत्र की प्रति वादीगण को ही नहीं दी गई, ऐसी अवस्था में अपीलाधीन आदेश विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण के द्वारा आवदेन पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व 09 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी एवं धारा 05 मियाद अधिनियम जो कि प्रतिवादी संख्या 04 सुरज सिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया कि इस आवेदन पत्र के पैरा संख्या 04 में यह उल्लेख किया गया कि वादीगण के परिवार का मुखिया श्री बालकिशन ही है एवं सम्पूर्ण विवाद तथा वाद पत्र की पैरवी भी उन्हीं के द्वारा की जाती रही, श्री बालकिशन जिनकी आयु वर्तमान में 88 वर्ष की है, लम्बे समय से बीमारी से पीडित होने के कारण उनके अधिवक्ता से आकर सम्पर्क नहीं किया जा सका, वादी अमरचन्द जो कि उनके अधिवक्ता से दिनांक 23–07–2021 को ही कलक्ट्रेट परिसर में उनके निजी कार्य से आये थे के द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण की कार्यवाही की जानकारी गई एवं दिनांक 23–07–2021 को ही यह जानकारी दी गई कि प्रतिवादी संख्या 04 सुरजसिंह का स्वर्गवास हो चुका है कि इस पर दिनांक 26–07–2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 04 सुरज सिंह के वारिसान को वाद पत्रावली के रिकार्ड पर लिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जिसका प्रतिवादीगण के द्वारा कोई जवाब ही नहीं दिया गया, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का खण्डन भी नहीं किया गया, कि इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वारिस आवेदन पत्र निरस्त किए जाने में विधिक त्रुटि की है जबकि तकनीकी बिन्दु के आधार पर वाद पत्र जो कि प्रतिवादी सुरजसिंह की हद तक अबेट कर निरस्त किए जाने में भारी त्रुटि की है, जबकि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के अनुसार वाद पत्र को तकनीकी बिन्दु के आधार पर अबेट, निरस्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के द्वार पारित आदेश वैग एवं प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किए

जाने योग्य है। अपील के उपरोक्त पैरा में उल्लेखितानुसार वादी श्री बालकिशन जो कि वादीगण के परिवार में मखिया है, कानून के जानकार भी है, उन्हीं के द्वारा वाद पत्र की सम्पूर्ण पैरवी एवं कार्यवाही की जाती रही परन्तु वृद्ध अवस्था 88 वर्ष की आयु, लम्बे अर्से से गम्भीर बीमारी से पीडित होने के कारण अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया गया तथा अन्य वादीगण कि जिन्हें वाद पत्र की कार्यवाही की कोई जानकारी ही रही जबकि वादी श्री बालकिशन के द्वारा ही सम्पूर्ण कार्यवाही एवं पैरवी की जाती रही परन्तु लम्बे समय से गम्भीर बीमारी से पीडित होने के कारण अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया जा सका, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत वारिसान में भी उक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया एवं इस सन्दर्भ में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि जिसका प्रतिवादीगण के द्वारा कोई जवाब एवं शपथ पत्र में अभिकथन का कोई खण्डन ही नहीं किया गया, जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रतिवादी संख्या 04 की सीमा तक वाद पत्र को अबेट एवं निरस्त किया गया जो कि विधि के प्रतिकूल है, अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अपील के सूक्ष्म तथ्यों का उल्लेख किया गया के अनुसार विवादित भूमि के 1/2 हिस्सा रोडा पुत्र पन्ना के वारिस भवरलाल, फुलचन्द, गेन्दालाल एवं बालकिशन की ही है कारण कि श्री मांगीलाल कि जिसे पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 14–08–1936 के अनुसार श्री रिद्धकरण का दत्तक पुत्र थे का भी स्वर्गवास हो चुका है इस प्रकार अपील के सूक्ष्म तथ्यों में वर्णित अभिवचन के अनुसार भी अपीलाधीन विवादित भूमि के 1/2 हिस्सा कि जिसमें श्री मांगीलाल दत्तक पुत्र रिद्धकरण का ही कोई वास्ता नहीं था ऐसी अवस्था में उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का भी कोई हक अधिकार सरोकार वास्ता ही नहीं है, इस प्रकार अपील के सूक्ष्म के पैरा में वर्णित अभिवचन के अनुसार भी अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया है निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2006 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2022 झारखण्ड 183, आरबीजे(6)1999 पेज 282, आरआरटी 2019(1)पेज 669, आरआरटी 2011(2) पेज 1311, आरआरटी 2021(2) पेज 1259, आरबीजे(20) 2013 पेज 280, आरएलआर 1988(1) पेज 763 प्रस्तुत किए हैं।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि आदेशिका दिनांक 11.12.2014 को ही प्रतिवादी की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 अ जा. दी. प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 श्री सूरज सिह का दिनांक 22.10.2014 को ही स्वर्गवास हो चुका है। उक्त आवेदन दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत किया गया है जो 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया जो कि मियाद बाहर के संदर्भ में कोई सदभाविक कारण नहीं दर्शाया गया है। साथ ही निवेदन किया गया कि दिनांक 11.12.2014 को ही आवदेन पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 के तहत प्रस्तुत किया गया के अनुसार भी उक्त आवेदन पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया जबकि वाद उपशमन हो चुका था । अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर

उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ही प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। दौराने विचाराधीन वाद प्रतिवादी संख्या 4 का स्वर्गवास दिनांक 22.10.2014 को हो गया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11.12.2014 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10 (अ) प्रस्तुत किया गया।

वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 26.07.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी लगभग 5 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 29.03.2022 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह तथ्य दृष्टिगत हुए कि वादी द्वारा समस्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरांत भी प्रकरण में समय पर जागरूकता से कार्यवाही नहीं की गई। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11.12.2014 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10 अ प्रस्तुत किया गया था तो वादी द्वारा भी अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 4 के वारिसानों को रिकार्ड पर लिए जाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी, परंतु वादी द्वारा प्रकरण में कई प्रोसिडिंगस होने के बावजूद भी प्रकरण में लापरवाही दर्शाते हुए प्रकरण में अनावश्यक विलंब किया गया। वादी द्वारा प्रकरण में किए गए अनावश्यक विलंब के समुचित कारण भी न्यायालय को नहीं बताए गए हैं। इन तथ्यों से यही प्रतीत होता है कि वादी/अपीलांट द्वारा प्रकरण में जागरूकता से सजग रहकर कार्यवाही नहीं की गई है।

अपीलांट/वादी द्वारा दौराने बहस यह उज्र भी उठाया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10(अ) जा0दी0 की प्रतिवादी द्वारा कॉपी रिसिव नहीं करवाई गई। इस संबंध में हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलांट द्वारा कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते हैं।

हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रकरण में की गई लापरवाही पर उदार रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी/अपीलांट को न्यायहित में एक समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादी/अपीलांट को न्यायहित में एक समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट **1000/—रूपए** की कोस्ट पर आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2006 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वादी/अपीलांट द्वारा **1000/—रूपए** की कोस्ट राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के खाते में जमा करवाकर उसकी जमा रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टकर किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर